

आवेदन पत्र को संख्या में दर्ज की गई है। जिसकी अनुसंधान

उपलब्ध पत्र में जमाबंदी संख्या 850 के खेता, पत्रावली, खेती, सिं मांछा की
 जानकारी के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसार
 निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को राजस्व
 रिकार्ड में अमल दशावधि के आदेश दिये जाते हैं।

दिनांक - 21/10/2021

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निर्देश है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदन
 का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/उचित नहीं है। आवेदन का नाम दुरुस्त किये जाने की अभिरक्षा की जाती है / नहीं
 की जाती है।

तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू (राज.)

दिनांक :- 21-10-2021

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दरतावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू0अ0)
 उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसार
 निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को राजस्व
 रिकार्ड में अमल दशावधि के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी संवत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध-प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
	गौड़	2075-2078	850	श्री लालचंद का मांछा श्री पती मांछा श्री लालचंद का मांछा	श्री लालचंद का मांछा श्री पती मांछा श्री लालचंद का मांछा

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक :- 21-10-2021

संख्या/2020/ 243-244

तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को वास्ते पालनार्थ।
 प्रार्थी/प्रार्थीया को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी